REVIEW OF RESEARCH

''उत्तराखण्ड में वन्य जीव सुरक्षा– चुनौतिया एवं प्रयास''

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

डॉ. आर. सी. भट्ट

असिस्टेंन्ट प्रोफेसर भूगोल , राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग (चमोली).

उत्तराखण्ड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 64.8 प्रतिशत भाग वनो के अर्न्गत आता है। लगभग 44 प्रतिशत भाग में वनावरण मौजूद है, तराई के मैदानी भाग से लेकर हिमाच्छादित उच्च पर्वत श्रृंखलाओं तक फैले इन वनों की भौगोलिक विषमता व जलवायु की भिन्नता के कारण इसमें विभिन्न प्रकार के वन पाये जाते है। तराई–भावर के साल वाहुल्य वनों मिश्रित प्रजाति के वनों व सब मोन्टेन घास के मैदान से चीड व बांज के अत्यधिक जैविक दबाव से ग्रसित वनों तथा उच्च देवदार व कैल तथा फर–स्प्रूश के शंकुधारी वनों से मोरु, खुर्सू, बुरांस, मैपल तथा भोजपत्र के मिश्रित व एकाकी वनो तक, वनो का विस्तार है। वृक्ष रेखा के ऊपर बुग्याल, मोरेन व ग्लेशियर बहुतायत में है, अनेक प्रसिद्व बुग्याल, घाटियां उत्तराखण्ड में है। 54 बुग्यालों में वैदनी, रामणी सरसोपाताल आदि प्रसिद्व बुग्याल है, तो फूलो की घाटी, हर की दून आदि विश्व प्रसिद्व ऊंचाई वाली घाटियां है।

उत्तराखण्ड के विभिन्न प्रकार के वनो व घास के मैदानों में विभिन्न प्रकार के पशु पंक्षी व जीव–जन्तु पाए जाते है। जहां तराई–भावर में वाघ व हाथी जैसे दूर्लभ व आकर्षक पशु है, वही चीड व बाँज के वनो में गलदार, घुरड, सेराउ, मार्टिन, स्लॉथ भालू, काला भालू, बन्दर व लंगूर पाए जाते हैं, उच्च स्थानों पर हिमवाघ, भूरा भालू, कस्तूरा, हिमालयी थार, भरल, मोनाल आदि दुर्लभ पशु–पक्षी भी बहुतायत में मौजूद है।

उत्तराखण्ड के भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 65 प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्र है। जिसका 18 प्रतिशत क्षेत्र वन्य जीवों व उनके वास स्थलों के रुप में संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। इस गौरवमयी प्राकृतिक धरोहर के सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षियों एवं वन्य जीवों के प्रति स्नेह तथा इनके अस्तित्व के लिए इनके प्राकृतिकवास का संरक्षण भारतीय संस्कृति एवं परम्परा का अभिन्न अंग रहा है, उत्तराखण्ड प्राचीन लोककला भूतिकला, चित्रकला, काव्य, संगीत, रीति–रिवाज तााि साहित्य पर नजर दौडाये तो यह स्पष्ट होता है कि ये सब वन्य जीवों एवं वनो को समृद्व करते रहे है।

मौसम चक्र में परिवर्तन के कारण बढती गर्मी कम वर्षा कहीं सूखा तो कहीं बादल का फटना, अलनीनों प्रभाव, धरती के तापमान में वृद्वि, ओजोन के परत में बढ़ता छिद्र प्रदर्शित पर्यावरण अम्मलीय वर्षा तथा बिजली पानी का संकट आदि आपदाओं के कारण वन्य जीव–जन्तु पर इसका प्रभाव स्पष्ट रुप से पड रहा है। इक्कीसवी शताब्दी का मानव एक विचित्र अर्न्तद्वन्द में फंस गया है, एक ओर निरन्तर बढ़ती जनसंख्या के उदर पोषण के लिए भोजन की समस्या तो दूसरी ओर पेय जल का नित गहराता संकट एक ओर जीवन स्तर के उन्नयन हेतु विविध प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में शोषण करके जैव विविधता में असन्तुलन उत्पन्न किया है।

भारतीय उप महाद्वीप का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान तराई भाभर विश्व प्रसिद्व पार्क है, तो राजाजी शिवालिक श्रृंखला का राष्ट्रीय पार्क है, नन्दा

देवी उच्च स्थल का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क है, तो फूलों की घाटी को भी विश्व स्तर पर प्रसिद्वि प्राप्त है विभिन्न प्रकार के वास स्थलों में राष्ट्रीय उद्यान प्राप्त है, विभिन्न प्रकार के वास स्थलों में 6 राष्ट्रीय उद्यान तथा 6 वन्य जीव विहार है, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 4083 वर्ग किमी तथा 2414 वर्ग किमी है, दोनो प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड का 12.4 प्रतिशत भू–भाग है जो राष्ट्रीय औसत 4.6 प्रतिशत से दुगने से भी अधिक है।

उत्तराखण्ड के संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीव के वास स्थलः–

उत्तराखण्ड में वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त भी अन्य क्षेत्रों में वास स्थल है। हाथी जो सबसे बडा जीव है, वह आरक्षित क्षेत्र के अतिरिक्त मानव वस्तियों के आस–पास भी विचरण करता है। जिसके कारण मानव और हाथियों में दन्द्व होता रहता है, कार्बेट पार्क का वफर जोन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जैव विविधता देखने को मिलती है, हाथी कार्बेट के अतिरिक्त लैन्सडाउन, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामनगर, तराई क्षेत्र, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ में भी पाया जाता है, शेर (टाइगर) भी उक्त क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में मिलते है। हाथी व शेर आरक्षित क्षेत्र से बाहर भी अधिक संख्या में मौजूद है। पर्वतीय क्षेत्र में गुलदार बडी संख्या में पाये जाते है, जो कि मानव वस्तियों के निकट रहकर पालतू पशु एवं यदाकदा मानव को अपना शिकार बनाते है। आरक्षित क्षेत्रों में मुख्य रुप से घुरड, काकड, सेराव, जंगली सूअर, सेही, मार्टिन, सिवेट, विभिन्न प्रकार के बिल्ली प्रजाति के जीव सियार, बन्दर, लंगूर स्लोथ, भालू पाये जाते हैं, उच्च पर्वतीय भागों में जो संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं वहा पर भी सभी जीव जन्तु पाये जाते हैं जो संरक्षित क्षेत्र में पाये जाते हैं, किन्तु इन क्षेत्रों में वन्य जीवों वन माफियों एवं तस्करों द्वारा इनका अवैध शिकार किया जा रहा है, जिसके कारण इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है।

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर कुछ ऐसे क्षेत्र है, जो वन्य जीवों व जैव विविधता की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देने आवश्यकता है।

1981 से 2011 शेरों की कुल संख्या संरक्षित क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्र से बाहर के योग में बहुत अधिक अन्तर आया है, जहां 1984 कुल संख्या 372 थी वहीं 2011 में इनकी कुल संख्या 251 है, जिनमें लगभग 121 की कमी देखी गयी है, गुलदार व हाथियों की संख्या में अन्तर नहीं देखा गया है, इनकी संख्या में वृद्वि हुई है,, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी स्पष्ट होता है कि संरक्षित क्षेत्र के वन्य जीवों की संख्या निरन्तर कमी देखी जा रही है, जहां मानव जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्वि हुई है। उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र को देव भूमि की संख्या दी है। प्रकृति के प्रति श्रद्वा और सम्मान का भाव रहा है, प्रकृति ने उत्तराखण्ड के जो जैव विविधता प्रदान की है वह अद्वितीय है, इस विविधता को हमारे वन्य जीव इन्द्रधनुषी छटा प्रदान करते है हिम तेन्दुआ, कस्तुरी मृग, वाघ, शेर, गुलदार, हाथी, भालू सांभर, चीतल काकड, पाड़ा आदि वन्य जीव उत्तराखण्ड के वनों में पाये जाते है। पिछली कुछ शताब्दी में इन वन्य जीवों के प्राकृतिवास में कमी आने के कारण इनकी संख्या में कमी आयी है। मानव हस्तक्षेप के कारण मानव–वन्य जीव टकराव की घटनाओं में वृद्वि हुई है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारी जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या के एक तिहाई थी। दुर्भाग्य से तब से अब तक हमारी संख्या में चार गुना वृद्वि हुई है। हमारा वातावरण तब से मात्र एक तिहाई रह गया है।

अतः वन्य जीवों के आवास स्थल में कमी के कारण ये वन्य जीव मानव वस्तियों के निकट आने के कारण मानव एवं वन्य जीव टकराव हो रहा है, जो समाचार पत्रों की सुर्खियों में बने रहते है।

वर्तमान समय में उत्तरोत्तर जनसंख्या वृद्वि आधुनिकीकरण की रपतार में मानव ने पर्यावरण एवं परिस्थितिकीय सन्तुलन, वन्य जीवों के वास स्थलों का विनाश करके एवं वनों का विनाश व विभिन्न जनजातियों द्वारा अनियन्त्रित पशुचारण, जलवायु व मृदा प्रदूषण के कारण उत्तराखण्ड की जैव विविधता पर भी स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, वही दूसरी ओर वन माफियों वन्य जीव तस्करों द्वारा अवैध व्यापार के कारण वन्य जीव समाप्ति कगार पर खडे हैं, जो आने वाले समय में केवल चित्रों में ही देखने को मिलेंगे।

उत्तराखण्ड में वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए 11 मई 1935 में देश का पहला राष्ट्रीय पार्क रामनगर (नैनीताल) खोला गया, जिसका नाम कार्बेट पार्क रखा गया, पहले इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क था, इसके साथ उत्तराखण्ड में 6 राष्ट्रीय उद्यान एवं 6 वन्य जीव विहार की स्थपना की गयी है, जिसमें विभिन्न वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

तालिका–1

क्रमांक	वन्य जीव विहार का नाम	जनपद	क्षेत्रफल वर्ग किमी0	स्थापना वर्ष
1	गोविन्द वन्य जीव विहार	उत्तरकाशी	953	1955
2	केदारनाथ वन्य जीव विहार	चमोली	957	1972
3	असकोट वन्य जीव विहार	पिथौरागढ़	600	1986
4	सेना नदी वन्य जीव विहार	गढ़वाल	301	1987
5	विनसर वन्य जीव विहार	अल्मोडा	47	1988
6	विनोग माउन्टेन क्लेब वन्य जीव विहार	देहरादून	339	1993

उपरोक्त वन्य जीव विहार में तेंदुआ, काला भालू, घुरड, काकड, जंगली बिल्ली, हिम वाघ, भूरा, काला भालू, कस्तूरी मृग, गुलदार, भालू, तीतर, बटेर, चकोर, मोनाल, कोकल्यास, जंगली सुंअर, साइवेरियन टाइगर, भेड़िया, हिरन, तेंदुआ आदि को संरक्षण देने के लिए वन्य जीव विहार की स्थापना की गयी। जिससे ये जीव संरक्षित रह सके।

तालिका–2

उत्तराखण्ड के वन्य जीव विहार संरक्षित क्षेत्रों वाले जनपदों की जनसंख्या

क्र0 सं0	जनपद	दस वर्षीय वृद्वि प्रतिशत 2001–2011	कुल जनसंख्या संख्या2011	लिंगानुपात प्रति 1000 व्यक्ति पर महिलाओं की संख्या	ज्नसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी0
	उत्तराखण्ड	19.27	10116752	953	189
	चमोली	5.60	391114	1021	49
	उत्तरकाशी	11.75	329686	959	41
	गढ़वाल	–1.51	686527	1103	129
	अल्मोडा	–1.73	621927	1142	198
	पिथौरागढ़	5.13	485993	1021	69
	रुद्रप्रयाग	4.14	236857	1120	119
	देहरादून	32.48	1698560	902	550
	हरिद्वार	33.16	1927029	879	817
	नैनीताल	25.20	955128	981	147

वर्ष 2011 की जनसंख्या के प्रारम्भिक ऑकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 तक उत्तराखण्ड की जनसंख्या में 16,27,407 अथवा 19.27 की दसकीय वृद्वि हुई है। उत्तराखण्ड की कुल जनसंख्या 10086292 में जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0, प्रत्येक 1000 पुरुषों के सापेक्ष 963 महिलाएं (लिंगानुपात) है।

उपरोक्त ऑकडों से स्पष्ट रुप से प्रदर्शित करते है कि प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपदों में उत्तराखण्ड की कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत भाग निवास करता है, इसी भू–भाग में वाघ, गुलदार, हाथी व कई महत्वपूर्ण जीवों एवं वन्य प्राणियों के वास स्थल भी स्थित है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, कार्बेट, टाइगर रिजर्व, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व में अत्यधिक जैविक दवाब को वैज्ञानिक ढंग से कम करना वन्य जीव परीक्षण संगठन के समक्ष चुनौती के रुप में उभरकर आया है।

- वन्य जीवों के मानव वस्तियों के निकट आने पर यहॉ घने वन ना होने के कारण मानव व वन्य जीवों में द्वन्ध अकसर देखने को कमलता है, इस द्वन्ध के कारण मवेशियों, पालतू पशुओं तथा स्थानीय निवासियों पर

भी हमला होने से जान–माल की हानि होती है, रामनगर , देहरादून, ऋषिकेश कोटद्वार , भावर में अकसर ऐसे द्वन्द देखे जा सकते हैं, उत्तम वन्य जीव प्रबन्ध से चुनौती से निपटा जा सकता है।

- उत्तराखण्ड में केवल 18 प्रतिशत वन भूमि को ही संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। 82 प्रतिशत क्षेत्रों में संवेदनशील व लुप्त प्राय वन्य जीव प्रजातियॉ पाई जाति है इनके वास स्थल भी स्थित है, वन विभाग द्वारा वन्य जीव सुरक्षा उनके बास स्थलों का विकास ना हो पाने कारण अवैध रुप से वन्य जीवों का शिकार तस्करों द्वारा किया जा रहा है, संरक्षित क्षेत्र से लगे बाहर के क्षेत्र को भी संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत लाकर इनकी सुरक्षा की जा सकती है।
- वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में अधिकारी नियुक्त है, इनको समुचित प्रशिक्षण देकर संवर्द्धन व सुरक्षा की चुनौती से पार पाया जा सकता है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
- उत्तराखण्ड में अधिकांश व्यक्ति रोजगार प्राप्ति के लिए सेना में भर्ती हो जाते हैं सेना में सेवानिवृत के बाद शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर शस्त्र प्राप्त कर लेते है, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र के बाहर इन व्यक्तियों द्वारा अवैध रुप से वन्य जीवों का शिकार किया जाता है। अवैध शिकार पर नियंत्रण करना भी एक चुनौती है। अतः शस्त्र लाइसेंस आवश्यक होने पर ही दिया जाय।
- उत्तराखण्ड के वन्य जीवों के वास स्थलों के संरक्षण कई अन्य चुनौतियॉ भी उभरकर सामने आ रही है, जिनमें प्रमुख रुप से निम्न है।
- प्रकृतिक रुप से जड़ी–बूटियों, औषधि व दवाइयों के लिए वन्य जीवों का शिकार अधिकांश देखा जा रहा है।
- प्रतिवर्ष फायर सीजन में आग लगने से कई वन्य जीव के वास स्थलों पर मानव का अतिक्रमण। वनों का विकास कार्य के प्रयोग के कारण वन्य जीव क्षेत्रों का सीमित होना।
- संरक्षित क्षेत्रों में पशुपालकों द्वारा अवैध चुगान के कारण वन्य जीव के लिए भोजन की प्राप्ति के लिए मानव वस्ती के निकट आना।
- भूमि क्षरण मृदा कटाव, जल भराव तथा भू–स्खलन के कारण भी वन्य जीवों के वास स्थलों का खतरा एवं उत्तराखण्ड में चार धामों को जोडने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर आलवेदर रोड के काम रेलमार्ग के लिए सुरंगों का काम आदि कार्यो में वन्यजीव स्थलों को प्रभावित किया है।
- उत्तराखण्ड में पुरानी सड़कों के चौडीकरण एवं नई सड़कों के निर्माण के कारण भी वन्य जीव जन्तु के वास स्थल वनस्पति, जल स्रोत प्रभावित हुए है, जिसके कारण ये जीव जन्तु मानवीय वस्तियों के निकट भोजन की प्रप्ति के लिए आते हैं जिसके कारण इनका अवैध शिकार हो जाता है।

  प्रयासः– वन्य जीव संरक्षण हेतु जो बहुत अधिक चुनौतियॉ है इन चुनौतियों का सामना करने के अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरे मनोयोग से प्रयास करने होगें तभी जाकर ये जीव जन्तु सुरक्षित रह पायेंगें वन्य जीवों के सुरक्षा हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जा सकते हैं।
- उत्तराखण्ड के वन्य जीवों व उनके आवास स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सवर्द्धन से आम जनमानस को जोडना होगा, प्रतिवर्ष 1 से 07 अक्टूबर प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह अनिवार्य रुप से मनाया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति में वन्य जीव के प्रति करुणा का भाव जाग सके, प्रत्येक व्यक्ति वन्य जीवों के प्रति नैतिक कर्तव्यवोध से परिचित हो सके।
- वन्य जीवों एवं मानव के बीच द्वन्द को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्र का विस्तार एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में हिसके जीवों को पकडने पिजड़ों की व्यवस्था।
- वन्य जीवों की सुरक्षा में स्थानीय लोगों की टीम बनाकर लगाना चाहिए, इस कार्य हेतु उन्हें मानदेय दिया जाना चाहिए।
- प्रत्येक ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा ग्राम प्रहरी की नियुक्ति की गयी है, इन व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण देकर गांव में ही हो रहे वन्य जीव–जन्तु अवैध शिकार पर निगरानी के लिए रखा जाना चाहिए।

- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार जिला स्तर पर अलग–अलग टीमों का गठन करके वन्य जीवों की सुरक्षा में लगाकर इनकी निगरानी हेतु एक अलग से फोर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- उत्तराखण्ड में अधिकांश व्यक्तियों के पास लाइसेंस बन्दूक है, इन्हें दी जाने वाले कारतूसों का पूरा विवरण रखा जाना चाहिए कारतूसों का उपयोग कहाँ किया गया ये जानकारी मांगी जानी चाहिए ताकि अवैध शिकार पर रोक लग सके।
- वन्य जीवों की सुरक्षा में लगे टीमों के पास समुचित यन्त्र अस्त्र–शस्त्र सुरक्षा हेतु उपकरण होने चाहिए, ताकि ये व्यक्ति भी सुरक्षित रह सके।
- गस्ती दल के साथ एक डाक्टरों की टीम भी साथ होनी चाहिए, ताकि जरुरत पडने पर इन वन्य जीवों की स्वास्थ्य की जाँच भी की जा सके, आवश्यकता पडने पर इनका इलाज हो सके।
- उत्तराखण्ड के प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी आधार पर प्रबन्ध योजना तैयार की जानी चाहिए।
- प्राकृतिक वनस्पति के अवैध पातन, वनाग्नि आदि पर कानून रुप से प्रतिबन्ध लगाकर अर्थदण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- वन्य जीवों के अवैध शिकार वन औषधियों एवं उपज अवैध व्यपार पर नियन्त्रण के लिए स्थानीय लोगों संस्थाओं गैर सरकारी संगठनों से सूचना सहयोग लेकर अपराधियों के विरुद्व कार्यवाही की जा सकती है। वन्य जीवों तथा उनके वास स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्द्वन के यह प्रयास निश्चित रुप से उत्तराखण्ड की जैव विविधता की धरोहर के रुप में आगामी पीढ़ियों को हमें सौप पायेंगे जब तक आम जनमानस का सहयोग नहीं मिलेगा।

सन्दर्भ–

1. नेगी ए0 एस0:– उत्तरांचल के वन्य जीवों तथा इनके वास स्थलों का संक्षिप्त परिचय–वन विभाग उत्तरांचल 2001 पृ0 सं0 01
2. उपरोक्त.....पृ0 सं0 1
3. सिंह परमजीत :– उत्तरांचल में वन्य जीव संरक्षण संरक्षण चुनौतियां एवं प्रयास वन विभाग उत्तरांचल 2001 पृ0 सं0 31
4. नेगी ए0एस0:– उत्तरांचल के वन्य जीवों तथा उनके वास स्थलों का संक्षिप्त परिचय – वन विभाग उत्तरांचल – 2001 पृ0 सं0 02
5. उपरोक्त.....पृ0 सं0 03
6. जोशी महेन्द्रः– उत्तराखण्ड सामान्य ज्ञान – अरिहन्त पब्लिकेशन्स – 2011